न्यायालय श्रीमान राजस्व मडल म0 प्र0 ग्वालियर

अमृत तनय राजधर यादव ,

निबासी ग्राम अंनतपुरा , तह0 एवं0 जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन ..... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, द्वारा प्र0क0 89/बी121/2008–09 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक /08/09 से परिवेदित होकर कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम उत्तमपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 69 जु0 रकवा 2.023 हैक्टर आवेदक एवं सुखलाल नामक ब्यक्ति को पटटा पर प्राप्त हुई थी जो बाद में 69/12 हो गई, जो लगातार बर्ष 1985–86 तक आवेदक एवं सुखलाल के नाम पर पटटेदार के रूप में दर्ज रहीं। बर्ष 1991–92 में उपरोक्त भूमियां आवेदक एवं सुखलाल के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज हो गई, जो लगातार 1995–96 तक दोंनों के नाम पर दर्ज रहीं। तदुपरांत बर्ष 2001–02 में आवेदक के अकेले के नाम पर दर्ज हो गई। जो लगतातार 2010–2011 तक आवेदक के नाम पर दर्ज है। तदुपरांत कलेक्टर के उपरोक्त आलोच्य आदेश के द्वारा पूरी की पूरी भूमि म0 प्र0 शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसमें आवेदक को ना तो साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, ना ही नैसिर्गक न्याय के सिद्वांत का पालन किया गया, मात्र अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही की गई है।

3; यह कि जब वाद भूमि आवेदक के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी, तो अधिनस्थ न्यायालय को आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 345/ II /2016, जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अमृत यादव वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-3-16	(1) 1 मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़, द्वारा प्र0क0 89/बी121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक /08/09 से परिवेदित होकर कर रहा है। 2– यह कि आवेदक के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम उत्तमपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 69 जु0 रकवा 2.023 हैक्टर आवेदक एवं सुखलाल नामक ब्यक्ति को पटटा पर प्राप्त हुई थी जो बाद में 69/12 हो गई, जो लगातार बर्ष 1985–86 तक आवेदक एवं सुखलाल के नाम पर पटटेदार के रूप में दर्ज रहीं। बर्ष 1991–92 में उपरोक्त भूमियां आवेदक एवं सुखलाल के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज हो गई, जो लगातार 1995–96 तक दोंनों के नाम पर दर्ज रहीं। तदुपरांत बर्ष 2001–02 में आवेदक के अकेले के नाम पर दर्ज हो गई। जो लगातार 2010–2011 तक आवेदक के नाम पर दर्ज है। तदुपरांत कलेक्टर के उपरोक्त आदेश के द्वारा पूरी की पूरी भूमि सुकलाल के नाम नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसमें आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, नैसिर्गक न्याय के सिद्वांत का पालन नहीं किया गया, मात्र अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही की गई है। 3– यह कि मैंने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा वाद भूमि की बर्ष 1981–82 से लगातार 2010–11 तक की खसरा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं हैं। जिनका सूक्षमता पूर्वक अवलोकन किया गया। जिनमें वही स्थिति है जो आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी तर्क में उपर बताया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28/02/2009 को एक प्रतिवेदन कमांक 129/बी121/2006–07 कलेक्टर टीकमगढ़ को भेजा गया है , जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि सुकलाल तनय देवी सौंर, निबासी तखा के नाम पर बर्ष 1981–82 में बंटन में दी गई थी , जो बर्ष 1990–91 में सुखराम पिता राजधर यादव निबासी तखा के नाम पर दर्ज हो गई। इस प्रकार उपरोक्त भूमि म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता की धारा 165/7 के	

उल्लंघन में बिक्रीत की गई है। अतः प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर भूमि शासन के नाम दर्ज करना उचित होगा। जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा सुखराम यादव को 165 /7/ख को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 89/बी121/08–09 दिनांकित /03/2009 जारी किया। जिसका सुखराम ने दिनांक 06/06/2009 को जबाब प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा भूमि के नामांतरण के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की, एवं कब्जा से भी इंकार किया तथा उसके द्वारा कहा गया कि यदि वाद भूमि पर सुखराम का नाम दर्ज है तो उसे काट दिया जाबे। जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश पारित करके वाद भूमि अनावेदक क्रमांक 02 सुकलाल तनय देवी सौंर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया।

4– यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा जल्दबाजी में की गई है । आदेश एवं सूचनापत्र पर दिनांक का कॉलम रिक्त है। उनके द्वारा ना तो पटवारी को बुलाकर प्रकरण एवं रिकॉर्ड की बस्तुस्थिति की जानकारी ली एव ना ही सुखलाल तनय देवी को ही सूचनापत्र जारी किया और सीधा आदेश पारित करके भूमि देवी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जब उपरोक्त भूमि का आवेदक रिकॉर्डेड भूमि स्वामी है तो उसको भी सूचनापत्र जारी करना था। सुखराम को सूचनापत्र किस आधार पर जारी किया गया स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त भूमि पर सुखराम का नाम दर्ज न होकर आवेदक का नाम दर्ज रहा है, इस तथ्य की पुष्टि संलग्न खसरा पांच साला एवं सुखराम के जबाब से होती है। सुखराम को निराधार नोटिस जारी किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही मात्र अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन मात्र के आधार पर की गई है, जिसे मैं उचित नहीं पाता हूँ। नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का पालन किये बगैर रिकॉर्ड के बिपरीत पारित आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत हैं।

अतः प्रकरण की वादग्रस्त भूमि के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 89/बी121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक /8/09 निरस्त किया जाता है, आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वाद भूमि पर पूर्ववत आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज किया जाबे। प्रकरण का परिणम दर्ज करके डायरा से पृथक कर दा0 द0 हो।

सदस्य